17/4/26

पत्रा० पेश हुआ। प्रार्थी वकील उप०। मूल पत्रा० अदम पैरवी में CPC के नियम 9 R 5 के तहत खारिज की जा चुकी है। प्रा० पत्र 151 जा० दी० का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा० इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।